न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा
पीठासीन अधिकारी :—सुरेन्द्र सिह खंगारोत, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः—02/2017

प्रार्थीः:—

मोहनसिंह पुत्र शिवनाथसिंह जाति राजपूत निवासी दूदों का बाडा अजीत तहसील समदडी जिला बालोतरा

—::बनामः:—

विप्रार्थीगणः:—

1. रूपसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह
2. नाथूसिंह पुत्र रूपसिंह
3. विजयसिंह पुत्र रूपसिंह
4. जोगसिंह पुत्र मुकनसिंह
5. नारायणसिंह पुत्र मुकनसिंह
6. पदमसिंह पुत्र मुकनसिंह जाति राजपूत निवासी दूदों का बाडा (अजीत) तहसील समदडी जिला बालोतरा
7. एस.बी.आई शाखा प्रबन्धक अजीत
8. राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार समदडी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—1. श्री कपिल श्रीमाली वकील प्रार्थी
2. श्री पूनमचन्द रामदेव वकील विप्रार्थी संख्या 3

आदेश दिनांकः— 30.08.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 48 रकबा 11.14 बीघा (1.8939 हैक्टेयर) ग्राम दूदो का बाडा तहसील समदडी में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की दक्षिण से लगती विप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी भूमि ख.स. 49 रकबा 93.10 बीघा (15.1352 हैक्टेयर) आई हुई है। प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन हेतु, आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शित विप्रार्थीगण सं. 1 से 6 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाता ले जाता है। विप्रार्थीगण 1 से 6 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.28 13:18:37 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विप्रार्थी संख्या 1 ,2 व 5 से 7 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई विप्रार्थी संख्या 3 की ओर से वकील श्री पूनमचन्द रामदेव उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 4 के द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते बाबत सहमति जाहिर की गई। तहसीलदार समदडी से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार समदडी द्वारा पत्रांक राजस्व/2022/134 दिनांक 14.02.2022 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मौका रिपोर्ट पर विप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार समदडी से पुनः मौका रिपोर्ट चाहे जाने पर तहसीलदार समदडी द्वारा पत्रांक राजस्व/PGKS /2023/62 दिनांक 03.05.2023 के द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी की मौजा दूदो का बाडा तहसील समदडी में अवस्थित खातेदारी भूमि ख.सं. 48 रकबा 11.14 बीघा (1.8939 हैक्टेयर)में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी भूमि ख.सं. 49 रकबा 93.10 बीघा (15.1352 हैक्टयर) की दक्षिण सीमा पर कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता ही इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थी का परिवार पीढ़ियों से आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में दर्शाए बरंग लाल अनुसार रास्ता घोषित कर, सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थी रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण सं. 1 से 6 को देने हेतु सहमत है।

विप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार समदडी द्वारा दिनांक 03.05.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट''अ'' में दर्शाए बरंग लाल अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिये जाने बाबत अनापत्ति जाहिर की गई।

हमने दोनो पक्षो के वकीलो की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार समदडी ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के खसरा संख्या 48 में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के [illegible]रा संख्या 49 मे से चाहा गया रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट [illegible] र्शाए बरंग लाल रास्ता ही सुविधाजनक ,निकटतम एवं [illegible] बताया है। यद्यपि प्रस्तावित रास्ता से विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के खातेदार[illegible]त खसरा संख्या 49 दो भागो में विभाजित होगा तद्यापि उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के खेत में आवगमन का एकमात्र रास्ता बताया है। रास्ता हेतु प्रभावित भूमि की लम्बाई 32 गट्ठा व चौडाई 2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.28 13:18:37 IST
Reason: SelfAttested

गट्ठा रकबा 0.0259 हैक्टेयर है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता एवं तहसीलदार समदडी द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट''अ'' में दर्शाए गये बंरग लाल रास्ते को गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने हेतु विप्रार्थी संख्या 4 द्वारा सहमति व विप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम दूदो का बाडा तहसील समदडी की ख.सं. 48 रकबा 11.14 बीघा (1.8939 हैक्टेयर) में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण सं. 1 व 6 की खातेदारी भूमि खं.सं. 49 रकबा 93.10 बीघा (15.1352 हैक्टेयर) मे से तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल से दर्शित भूमि, जिसकी लम्बाई 32 गट्ठा, चौड़ाई 2 गट्ठा एवं रकबा 0.0259 हैक्टेयर है, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा प्रभावित रकबे की डी.एल.सी की दुगनी राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार समदडी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार समदडी द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व/PGKS/2023/62 दिनांक 03.05.2024 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट ''अ'' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 30.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.28 13:18:37 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट "अ"

...री नक्शा
...जा- दुदों का बाड़ा
खसरा नं. ५१ में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता

नक्शा किश्तवार
मौजा दुदों का बाड़ा
त० - सिवाना
पैमाना एक इंच बराबर ८० गट्ठा

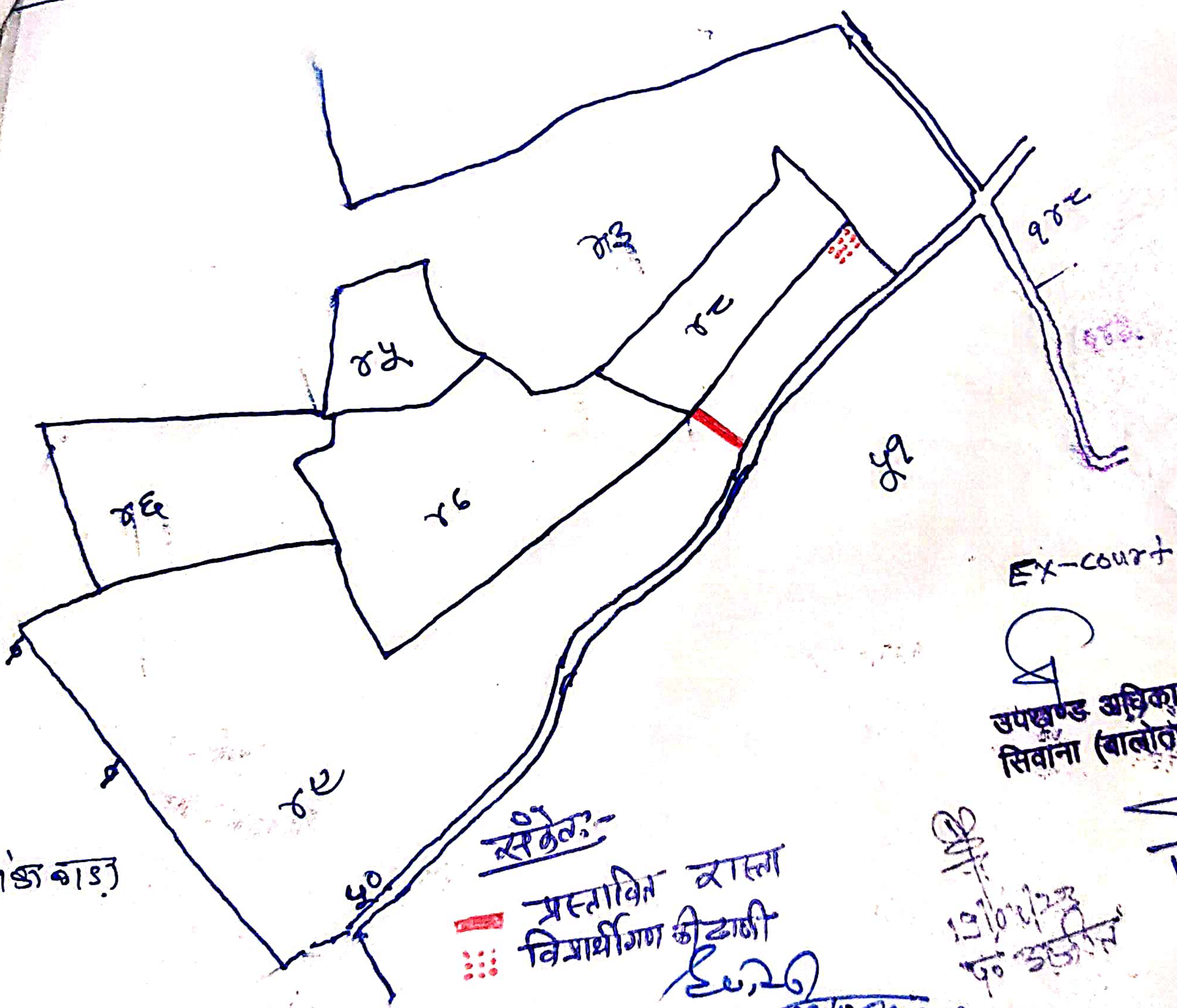

स० मौ० भलरों का बाड़ा

संकेत:-
प्रस्तावित रास्ता
विप्रार्थीगण की ढाणी

Ex-court

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

19/04/2023
ILR अजीत

19/04/23
प० अजीत

03/05/2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.28 13:18:37 IST
Reason: SelfAttested